

संख्या- 1059/2026/ 001-2034600

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत 12 जनपदों की 18 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹1931.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹965.79 लाख (रुपये नौ करोड़ पैंसठ लाख उन्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

धनराशि ₹ लाख में

जनपद	परियोजना क्रमांक	निकाय प्रकार	निकाय का नाम	चयनित स्थल	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
अमरोहा	1	नगर पालिका परिषद	बछरायूं	नगर पालिका परिषद बछरायूं, अमरोहा में अवस्थित धार्मिक स्थलमहादेव मन्दिर धाम में अवस्थापना-सुविधाओं के विकास का कार्य	84.53	42.27
कन्नौज	2	नगर पंचायत	तिर्वागंज	नगर पंचायत तिर्वागंज, कन्नौज में अवस्थित माँ अन्नपूर्णा मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	आगणन में उल्लिखित कोई भी कार्य निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप- नहीं पाया गया। अतएव निर्गत किये जाने वाली धनराशि शून्य है।	
कुशीनगर	3	नगर पंचायत	मथौली	नगर पंचायत मथौली, कुशीनगर के वार्ड नं0-12, सरदार भगत सिंह नगर में अवस्थित श्री राम जानकी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	124.61	62.31
गोण्डा	4	नगर पंचायत	धानेपुर	नगर पंचायत धानेपुर, गोण्डा में अवस्थित धार्मिक स्थल सम्मय-माता स्थान मन्दिर में अवस्थापना	150.00	75.00

सुविधाओं के विकास का कार्य						
गोरखपुर	5	नगर पंचायत	बांसगाँव	नगर पंचायत बांसगाँव, गोरखपुर में अवस्थित धार्मिक स्थल-राम जानकी मन्दिर एवं शिव मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	88.46	44.23
गोरखपुर	6	नगर पंचायत	संग्रामपुर उर्फ उनवल	नगर पंचायत संग्रामपुर उर्फ उनवल, गोरखपुर में अवस्थित धार्मिक स्थल-झारखंडी महादेव मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	85.34	42.67
जौनपुर	7	नगर पालिका परिषद	जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर, जौनपुर में अवस्थित श्री रामजानकी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य	113.75	56.88
बहराइच	8	नगर पंचायत	पयागपुर	नगर पंचायत पयागपुर, बहराइच में मन्दिर स्थल व तालाब का सौन्दर्यीकरण ।(श्री सुभाष त्रिपाठी, मा0 विधायक, विधानसभा पयागपुर, बहराइच द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी से मिलकर किये गये अनुरोध के दृष्टिगत उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्ययोजना में सम्मिलित)	84.67	42.34
बाराबंकी	9	नगर पंचायत	टिकैतनगर	नगर पंचायत टिकैतनगर, बाराबंकी में अवस्थित श्री भुवनेश्वर नाथ (शिव) मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	149.99	75.00
बाराबंकी	10	नगर पंचायत	फतेहपुर	नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी में अवस्थित यशोदा मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	150.00	75.00
मथुरा	11	नगर पंचायत	गोकुल	नगर पंचायत गोकुल, मथुरा में अवस्थित नन्द बाबा मन्दिर, उत्तलेश्वर महोदव मन्दिर एवं गणेश मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	136.63	68.32
मथुरा	12	नगर पंचायत	गोवर्धन	नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा में अवस्थित धार्मिक स्थल-सूरजकुण्ड/ नयाकुण्ड एवं गौरीकुण्ड में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	9.09	4.55
मथुरा	13	नगर पंचायत	नन्दगाँव	नगर पंचायत नन्दगाँव, मथुरा में अवस्थित धार्मिक स्थल-रंगीली चौक, सूरजकुण्ड, नन्दबाबा मन्दिर एवं कुज कुटी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	133.45	66.73
मथुरा	14	नगर पंचायत	फरह	नगर पंचायत फरह, मथुरा में अवस्थित धार्मिक स्थल-पथवारी मन्दिर, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, सूर साधना स्थल, प्राचीन हनुमान मन्दिर एवं प्राचीन वनखण्डी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	150.00	75.00
मथुरा	15	नगर पालिका परिषद	कोसीकलॉ	नगर पालिका परिषद कोसीकलॉ, मथुरा में महर्षि वाल्मीकि मन्दिर एवं रामलीला मैदान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	183.33	91.67
सम्भल	16	नगर पालिका परिषद	सम्भल	नगर पालिका परिषद सम्भल, सम्भल में अवस्थित भद्रिकाश्रम तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	146.43	73.22
सिद्धार्थनगर	17	नगर पंचायत	भारतभारी	नगर पंचायत भारतभारी, सिद्धार्थनगर में अवस्थित शिव मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	69.82	34.91
				नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई में अवस्थित श्री		

हरदोई	18	नगर पंचायत	कछौना पतसेनी	रामेश्वरम मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	71.48	35.74
कुल योग-					1931.58	965.79

- i. उक्त स्वीकृतियों वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।
- ii. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग/व्यय हो जाने के उपरान्त संबंधित निकाय द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य से संबंधित फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त की माँग का प्रस्ताव शासन को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाएगा। तक्रम में शासन द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
- iii. प्रश्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- iv. उक्त परियोजनान्तर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप अनुमन्य कार्यों को ही स्वीकृति किया गया है। जो कार्य अनुमन्य है, उन्हीं कार्यों को कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी का होगा।
- v. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- vi. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- vii. प्रश्रगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- viii. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- ix. संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- x. संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- xi. उक्त प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- xii. वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में कराये गये कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित निकायों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- xiii. उक्त धनराशि जिस मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiv. निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।
- xv. जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- xvi. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- xvii. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- xviii. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- xix. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- xx. इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित

तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये **965.79** लाख (रूपये नौ करोड़ पैंसठ लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक **2217808001100** प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान मानक मद **35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-531-X-2025-26, दिनांक-24 मार्च, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Rajeshwari Prasad Vishwakarma
Date: 25-03-2026 14:36:36

भवदीय,
(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-1059/2026/001-2034600, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (शहरी) लखनऊ।
6. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. समस्त संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
9. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
12. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।